UPJL050006442022

Presented on : 01-12-2022
Registered on : 01-12-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Rajeev Saran

Original Suit/396/2022

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0), जालौन स्थान उरई।
मूलवाद संख्या–396/2022
श्रीमती फहमीदा खातून बनाम श्रीमती रसीदा खातून आदि।
J.O.Code No.-UP-1861

दिनांकः 11.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर पक्षकार विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली वाद बिन्दु विरचन के स्तर पर नियत है। वाद बिन्दु विरचित किये जाने से पूर्व पक्षकारों से उनके मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में अंतर्गत धारा 89 जा0दी0 मामले को सुलह समझौते से निपटाने हेतु सुलह समझौता केन्द्र उरई संदर्भित किये जाने के संबंध में पूंछा गया तो पक्षकारों द्वारा याचित अनुतोष के आधार पर सुलह समझौते की सम्भावना से इनकार कर दिया गया। अतः मामले की प्रकृति को देखते हुए पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये जाते हैंः

1. **क्या वादिनी विवादित वसीयत जिसका पंजीकरण बही संख्या 3 जिल्द संख्या 82 के पृष्ठ संख्या 283 से 294 तक कमांक 22 पर दिनांक 07.02.2011 को समक्ष उपनिबंधक उरई, निष्पादित किया गया है, को वादपत्र में वर्णित आधारों पर शून्य घोषित/निरस्त करा पाने की अधिकारिणी है?**
2. **क्या वादिनी प्रश्नगत मकान/दुकान जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है, की स्वामी एवं मौके पर काबिज व दखील है?**
3. **क्या दावा वादिनी अल्प मूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?**
4. **क्या दावा वादिनी पोषणीय नहीं है?**
5. **क्या दावा वादिनी आदेश 7 नियम 3 जा0दी0 से बाधित है?**
6. **क्या दावा वादिनी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?**
7. **क्या वादिनी किसी अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?**

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु को बनाये जाने पर पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–3 दिनांक 04.08.2023 को पेश हो।

Digitally signed by RAJEEV SARAN
Date: 2023.07.12 10:21:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।